



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1775 /SEIAA/

Date : 29-09-22

संशोधन

प्रति,

श्री सुधीर कुमार जैन आत्मज श्री सुदंर लाल जैन,
निवासी नगर निगम के पीछे,
जिला कटनी (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/58636/2020 - प्रकरण क्र. 7997 / 2020 परियोजना प्रस्तावक श्री सुधीर कुमार जैन आत्मज श्री सुदंर लाल जैन, निवासी नगर निगम के पीछे, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाइट खदान (ओफनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 37584 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 128, 129 130, 138, 139, 140, 141, 142पी, 143, 144, 145, रकबा 8.681 हेक्टेयर, ग्राम मलहान, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.)।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 749वीं बैठक दिनांक 23.09.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार ।

SEIAA की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई मेल दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.05.2022 एवं संशोधन दिनांक 29.06.2022 में पुनः निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :-

- उल्लेख किया गया है की खनन परियोजनाओं के लिए सीधीसीधी और माननीय एनजीटी द्वारा जारी विशानिर्देश पत्थर खनन परियोजनाओं से संबंधित है न कि अन्य खनिजों के लिए, इसलिए विशानिर्देश में दिए गए मानदंड डोलोमाइट खदान के लिए लागू नहीं होंगे।
- अतः हैविंग (Heaving Purpose) के लिए कभी-कभार ब्लास्टिंग करने की अनुमति दी जाये। साथ ही उल्लेख किया गया है की, उनके द्वारा खनन के सेकेंडरी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधन के विधिक सम्मत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपस्थित होकर समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्र. 2 एवं 4 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्नानुसार शर्त अधिरोपित की जाती है :-

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामवासियों को उनके आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा, पर सहमति व्यक्त की गई।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत तथा गाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 304/2019 में आदेशित कार्यवाही के परिपालन में खनन क्रिया के दौरान ब्लास्टिंग करने पर खनन क्षेत्र की सीमा से उपरोक्त प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग यदि पक्की सड़क निर्मित की जाती है तो 200 मीटर तक एवं यदि ग्रामीण कच्चा मार्ग निर्मित किया जाता है तो 50 मीटर तक नो माझनिंग जोन की परिधि में निर्धारित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से प्रतिबाधित दूरी में हरित क्षेत्र विकसित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23.05.2022 में उल्लेखित विशिष्ट शर्त क्र. 2 एवं 4 को विलोपित कर इसके स्थान उक्त संशोधित शर्तों को पढ़ा जाये एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष शर्तें यथावत रहेगी।


०/८ (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


क्र. 1776

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक २९.९.२२

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


०/८ (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी